

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक 12/अ0प्र0-17-01/19

पटना/दिनांक-

प्रेषक ,

शत्रुंजय कुमार मिश्र,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता,
सभी अधीक्षण अभियंता,
सभी कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

विषय:-

BBAS के माध्यम से बायोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज करने के संबंध में।

प्रसंग:-

बिहार सरकार, गृह विभाग (विशेष शाखा) का पत्रांक 3312 दिनांक 01.04.2022 विभागीय पत्रांक 2629 अनु0 दिनांक 13.04.2022, पत्रांक 2974 अनु0 दिनांक 29.04.2022, पत्रांक 9716 दिनांक 30.08.2022, पत्रांक 10226 दिनांक 08.09.2022, पत्रांक 10382 दिनांक 09.09.2022, पत्रांक 11016 दिनांक 26.09.2022, विभागीय पत्रांक 6771 दिनांक 22.11.2022 एवं विभागीय पत्रांक 118 दिनांक 05.01.2023

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि गृह विभाग (विशेष शाखा) के निदेशानुसार विभाग के अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत सभी पदाधिकारी/कर्मियों का BBAS के माध्यम से दिनांक 29.08.2022 से उपस्थिति दर्ज किया जाना अनिवार्य हैं। इस संबंध में विभागीय पत्रांक 6771 दिनांक 22.11.2022 एवं पत्रांक 118 दिनांक 05.01.2023 द्वारा BBAS के माध्यम से बायोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज करने से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया था। परन्तु अभी तक कुल 08 ही कार्यालयों से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। इस संबंध में विशेष सचिव द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये यह निदेश दिया गया है कि सभी कार्यालयों से शीघ्र प्रतिवेदन प्राप्त किया जाय।

अतः आपको निदेशित किया जाता है कि इस संबंध में यथाशीघ्र प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय, जिससे कि गृह विभाग (विशेष शाखा) को इस आशय का प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जा सके।

कृपया इसे अति आवश्यक समझा जाय।

(विश्वासभाजन)

ह0/-

शत्रुंजय कुमार मिश्र,
सरकार के संयुक्त सचिव

/पटना, दिनांक-20/1/23

ज्ञापांक:- 12/अ0प्र0-17-01/2019

35-2

प्रतिलिपि:- आई0 टी0 प्रबंधक, ग्रामीण कार्य विभाग को संबंधित सभी कार्यालय को ई0मेल द्वारा उपलब्ध कराने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव